



# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं.-1, नॉलेज पार्क-IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर-201308, उ०प्र०

वेबसाइट: [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in), ई-मेल: [authority@gnida.in](mailto:authority@gnida.in)

पत्रांक: 56796 / ग्रे०नौ० / वित्त / 2021-22

दिनांक 06.09.2021

## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आवंटियों एवं बैंकों के लिए सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आवंटियों एवं बैंकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिफिकेशन 13/दिनांक 28.06.2017 (Central Tax (Rate) एवं नोटिफिकेशन 3/2018 दिनांक 25.01.2018 (Central Tax (Rate) के बिन्दु संख्या-5 एवं 5A के अनुसार ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ऐसे सभी आवंटियों जो जी०एस०टी० में पंजीकृत हैं, वह सभी आवंटियों GST Reverse Charge में जी०एस०टी० एक्ट के अनुसार देय जी०एस०टी० की धनराशि स्वयं जी०एस०टी० विभाग में जमा करायेगें।

आवासीय योजना (Individuals) को छोड़कर ऐसे सभी आवंटियों का जी०एस०टी० विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है यदि कोई आवंटियों जी०एस०टी० में पंजीकृत नहीं है तो उन्हें तत्काल अपना पंजीकरण जी०एस०टी० विभाग में कराया जाना अनिवार्य है।

आवासीय योजना को छोड़कर ऐसे आवंटियों जो जी०एस०टी० में पंजीकृत नहीं है प्राधिकरण को देय लीजरेन्ट एवं प्रीमियम की धनराशि के अतिरिक्त उक्त धनराशि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० प्राधिकरण में जमा करायेगें। जी०एस०टी० ना जमा होने की स्थिति में जी०एस०टी० विभाग द्वारा अत्याधिक पैनल्टी आरोपित होने का प्राविधान है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Follow Us On     /OfficialGNIDA